

सामान्य आदेश 157-D

(यह सामान्य आदेश 157-C का स्थान ले लेगा)

केलीफोर्निया राज्य का सार्वजनिक उपयोगिताएं आयोग
(PUBLIC UTILITIES COMMISSION OF THE STATE OF CALIFORNIA)

सार्वजनिक उपयोगिता कोड (धारा 5351 के साथ आरम्भ) के खंड 2 के अध्याय 8 के अनुसरण में यात्रियों के चार्टर-पार्टी वाहकों के परिचालनों को विनियमित करने वाले नियम और विनियम (RULES AND REGULATIONS GOVERNING THE OPERATIONS OF CHARTER-PARTY CARRIERS OF PASSENGERS PURSUANT TO CHAPTER 8 OF DIVISION 2 OF THE PUBLIC UTILITIES CODE (BEGINNING WITH SECTION 5351)).

24 फरवरी, 2005 से अपनाया गया और प्रभावी।
R.02-08-002 में निर्णय 05-02-033

21 जून, 2007 से संशोधित प्रभावी।
प्रस्ताव TL-19090

यात्रियों के चार्टर-पार्टी वाहक (CHARTER-PARTY CARRIERS OF PASSENGERS)

विषय-सूची

भाग 1 – सामान्य प्रावधान

- 1.01-संक्षिप्त शीर्षक
- 1.02-कानूनों और नियमों और विनियमों का हवाला
- 1.03-एकवचन और बहुवचन का निर्माण
- 1.04-"करेगा" और "कर सकता है"
- 1.05-दायित्व बीमा अपेक्षाएं
- 1.06-वाहन कोड की प्रयोजनीयता
- 1.07-आयोग विचलनों का आदेश दे सकता है
- 1.08-सामान्य आदेश श्रृंखला 157, वाहन कोड, और शीर्षक 13 की उपलब्धता

भाग 2 – परिभाषाएं

- 2.01-"आयोग"
- 2.02-"यात्रियों के चार्टर-पार्टी वाहक", "TCP", "वाहक"
- 2.03-"चार्टर-पार्टी वाहन", "वाहन"
- 2.04-"विशेष पहचान वाली लाइसेंस प्लेट"
- 2.05-"लीमूजीन"
- 2.06-"चालक-आवेदक"

भाग 3 – सामान्य अपेक्षाएं और प्रतिबंध

- 3.01-पहले से व्यवस्थित परिवहन
- 3.02 हवाई अड्डों में परिचालन
- 3.03-टैक्सी परिवहन सेवा प्राधिकृत नहीं है
- 3.04-उप-वाहक
- 3.05-प्राधिकार का नवीकरण
- 3.06-काल्पनिक नाम
- 3.07-विज्ञापनों में TCP संख्या या विशेष पहचान लाइसेंस प्लेट संख्या सम्मिलित होगी

भाग 4 – वाहन

- 4.01-उपकरण विवरण ताजा होना चाहिए
- 4.02-परिचालन से पहले सुरक्षा अपेक्षाएं
- 4.03-वाहक का नाम और वाहन संख्या वाहन पर दर्शाई जानी है
- 4.04-TCP नंबर वाहन पर दर्शाया जाना है
- 4.05-डीकेल (decals) दर्शाए जाने हैं
- 4.06-लीमूजीन के लिए विशेष पहचान लाइसेंस प्लेटें
- 4.07-पहचान चिह्नों को नुकसान
- 4.08-P.U.C. पहचान का अवैध प्रदर्शन
- 4.09-परिचालन प्राधिकार का अनधिकृत उपयोग
- 4.10-वाहन की बिक्री या हस्तांतरण

भाग 5 – चालक

- 5.01-चालकों के पास लाइसेंस होना चाहिए
- 5.02-चालक का रिकॉर्ड
- 5.03-चालक की स्थिति
- 5.04-अल्कोहलयुक्त पेय और नशीली दवाएं-चालक द्वारा उपयोग की मनाही है

भाग 6 – रिकॉर्ड और निरीक्षण

- 6.01-चार्टर-पार्टी रिकॉर्ड
- 6.02-निरीक्षण

भाग 7 – शिकायतें

- 7.01- वाहक को शिकायतों का उत्तर देना होता है

भाग 8 – छूट

- 8.01-लिखित अनुरोध द्वारा

भाग 9 – युवा कैम्पों द्वारा परिवहन

- 9.01-गैर-लाभ युवा कैम्पों द्वारा परिवहन
- 9.02-लाभ वाले युवा कैम्पों द्वारा परिवहन

भाग 10 – नियन्त्रित पदार्थ और अल्कोहल परीक्षण प्रमाणन कार्यक्रम

- 10.01-किसे पालन अवश्य करना चाहिए
- 10.02-नियन्त्रित पदार्थ और अल्कोहल परीक्षण कार्यक्रम की अनिवार्यता
- 10.03-नियुक्ति पूर्व परीक्षण के लिए अपेक्षाएं
- 10.04-परीक्षण लागत
- 10.05-परीक्षणों की गोपनीयता
- 10.06-चालक-आवेदक परीक्षण परिणाम आयोग को सूचित किए जाने हैं

भाग 1 – सामान्य प्रावधान

- 1.01-संक्षिप्त शीर्षक। ये नियम और विनियम "सामान्य आदेश श्रृंखला 157" के रूप में जाने जाएंगे।
- 1.02-कानूनों और नियमों और विनियमों का हवाला। जब भी किसी कानून के किसी भाग का हवाला दिया जाता है, तब ऐसा हवाला इससे पहले या इसके बाद किए गए सभी संशोधनों और परिवर्धनों पर लागू होगा; और जब भी इन नियमों और विनियमों के किसी भाग का हवाला दिया जाता है, तब ऐसा हवाला इसके बाद किए गए सभी संशोधनों और परिवर्धनों पर लागू होगा।
- 1.03-एकवचन और बहुवचन का निर्माण। एकवचन संख्या में बहुवचन सम्मिलित है और बहुवचन में एकवचन सम्मिलित है।
- 1.04-"करेगा" और "कर सकता है"। "करेगा" अनिवार्य है और "कर सकता है" अनुमत (permissive) है।
- 1.05-दायित्व बीमा अपेक्षाएं। प्रत्येक चार्टर पार्टी वाहक सामान्य आदेश 115 श्रृंखला के सभी प्रावधानों का पालन करेगा।
- 1.06-वाहन कोड की प्रयोजनीयता। प्रत्येक चार्टर पार्टी वाहक और उनके चालक कैलीफोर्निया वाहन कोड के प्रावधानों का पालन करेंगे।
- 1.07-आयोग विचलनों का आदेश दे सकता है। आयोग इन नियमों और विनियमों से विचलन प्राधिकृत कर सकता है या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त या भिन्न नियमों का पालन निर्धारित कर सकता है या इसकी अपेक्षा कर सकता है।
- 1.08-सामान्य आदेश खंड 157, वाहन कोड, और शीर्षक 13 की उपलब्धता। प्रत्येक चार्टर पार्टी वाहक के पास सामान्य आदेश खंड 157 की ताजा प्रति और कैलीफोर्निया वाहन संहिता की ताजा प्रति और कैलीफोर्निया विनियम संहिता के खंड 13 की मोटर वाहक सुरक्षा धाराओं (उप अध्याय 4, अनुच्छेद 12 और 14, और उप अध्याय 6.5, अनुच्छेद 1,3,6 और 8) की ताजा प्रति ऐसे स्थान पर होंगी जो सभी चालकों को उपलब्ध होगी।

भाग 2 – परिभाषाएं

- 2.01-"आयोग" । "आयोग" का अर्थ कैलीफोर्निया राज्य का सार्वजनिक उपयोगिताएं आयोग (Public Utilities Commission) है।
- 2.02-"यात्रियों के चार्टर-पार्टी वाहक", "TCP", "वाहक"। "यात्रियों के चार्टर-पार्टी वाहक" की परिभाषा वह होगी जो सार्वजनिक उपयोगिता कोड की धारा 5351-60 में निर्धारित की जाएगी। "TCP" अक्षरों का अर्थ "परिवहन चार्टर-पार्टी" है। इस सामान्य आदेश के अंतर्गत, "वाहक" शब्द का अर्थ यात्रियों का चार्टर पार्टी वाहक है।

- 2.03-"चार्टर-पार्टी वाहन", "वाहन"। "चार्टर-पार्टी" वाहन एक ऐसा मोटर वाहन है जिसका उपयोग चार्टर-पार्टी सेवा में किया जाता है। इस सामान्य आदेश में "वाहन" शब्द का अर्थ चार्टर-पार्टी वाहन है।
- 2.04-"विशेष पहचान वाली लाइसेंस प्लेट"। "विशेष पहचान वाली लाइसेंस प्लेट" वह प्लेट है जो सार्वजनिक उपयोगिता संहिता की धारा 5385.6 के अनुसार कैलीफोर्निया मोटर वाहन विभाग द्वारा लीमूजीन के मालिक या परिचालक को जारी की जाती है।
- 2.05-"लीमूजीन"। किसी "लीमूजीन" में चालक सहित 10 से कम यात्रियों की सीट क्षमता वाला मानक या बढ़ाई गई लम्बाई वाला कोई सेडान या स्पोर्ट यूटिलिटी वेहिकल सम्मिलित है जिसका उपयोग इस राज्य के भीतर पहले से तय आधार पर किराए पर यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है।
- 2.06-"चालक-आवेदक"। चालक-आवेदक चार्टर-पार्टी वाहक परिचालन प्राधिकार के लिए ऐसा कोई भी आवेदक है जो प्राधिकार के अंतर्गत चलाए जाने के लिए प्राधिकृत किसी भी वाहन का चालक भी होगा।

भाग 3 – सामान्य अपेक्षाएं और प्रतिबंध

- 3.01-पहले से व्यवस्थित परिवहन। सार्वजनिक उपयोगिता संहिता की धारा 5383 में परिभाषित श्रेणी A और श्रेणी B के चार्टर पार्टी वाहक और सार्वजनिक उपयोगिता संहिता की धारा 5384 (b) के अंतर्गत परमिट धारक वाहक केवल पहले से व्यवस्थित आधार पर परिवहन प्रदान करेंगे। परिवहन की व्यवस्था करने वाली पार्टी के पास वाहन का विशेष उपयोग होगा। चालक के पास वेबिल होगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं:
1. वाहक का नाम और TCP संख्या।
 2. वाहन की लाइसेंस प्लेट संख्या।
 3. चालक का नाम।
 4. चार्टर का अनुरोध करने वाले या इसकी व्यवस्था करने वाले व्यक्ति का नाम और पता।
 5. चार्टर की व्यवस्था करने का समय और तारीख।
 6. क्या परिवहन की व्यवस्था फोन द्वारा की गई या लिखित सम्पर्क द्वारा।
 7. चार्टर समूह में व्यक्तियों की संख्या।
 8. यात्रा पार्टी में कम से कम एक यात्री का नाम या यात्रा पार्टी के संबंधन की पहचान कराने वाली सूचना।
 9. रवाना होने और पहुँचने के स्थान।

अनुरोध किए जाने पर चालक वेबिल किसी आयोग या हवाई अड्डा प्रवर्तन अधिकारी को, या सार्वजनिक उपयोगिता संहिता की धारा 5371.4 (h) के अनुसरण में वेबिल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत नगर, काउंटी, या नगर और काउंटी के किसी अधिकारी को दिखाएगा।

3.02- हवाई अड्डों में परिचालन। कोई भी वाहक हवाई अड्डे की सम्पत्ति पर या इसमें तब तक कोई परिचालन नहीं करेगा जब तक ऐसे परिचालन इस आयोग और संबंधित हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न हों। हवाई अड्डा प्राधिकरण के सुरक्षा या ट्रेफिक नियमों और विनियमों का पालन करने में लगातार विफल रहने से आयोग प्राधिकार निलंबित या रद्द हो सकता है।

3.03- टैक्सी परिवहन सेवा प्राधिकृत नहीं है। कोई वाहक किसी नगर या काउंटी द्वारा लाइसेंस प्रदत्त और विनियमित टैक्सीकैब परिवहन सेवा में संलग्न होने के लिए प्राधिकृत नहीं है। वाहकों को ऐसे वाहनों का उपयोग करने की मनाही है जिसमें टॉप लाइट और/या टैक्सी मीटर हों।

3.04- उप-वाहक। कोई वाहक वाहन और चालक प्रदान करने वाले किसी अन्य वाहक (उप-वाहक) की सेवाओं का तब तक उपयोग नहीं करेगा जब तक कि दूसरे वाहक के पास चार्टर पार्टी वाहक के रूप में आयोग का प्राधिकार न हो। परिचालन वाहक द्वारा दूसरे वाहक के वाहन (वाहनों) और चालक (चालकों) के उपयोग के लिए करार का प्रमाण एक लिखित दस्तावेज़ द्वारा दिया जाएगा, और इसमें वाहक का नाम, TCP नंबर और प्रदान की जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा होगा।

3.05-प्राधिकार का नवीकरण। प्रत्येक वाहक प्रमाणपत्र या परमिट की कालातीत होने की तारीख (expiration date) से कम से कम तीन महीने पहले नवीकरण आवेदनपत्र दाखिल करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

3.06-काल्पनिक नाम। कोई वाहक किसी ऐसे व्यापार, व्यवसाय या काल्पनिक नामों का उपयोग नहीं करेगा, जो आयोग के यहाँ फाइल में न हों।

3.07-विज्ञापनों में TCP संख्या या विशेष पहचान लाइसेंस प्लेट संख्या सम्मिलित होगी। वाहक प्रत्येक लिखित या मौखिक विज्ञापन, प्रसारण या सेवाओं के लिए जनता से सम्पर्क किए जाने वाले किसी भी माध्यम में अपने प्रमाणपत्र की संख्या का उल्लेख करेगा, सिवाए इसके कि लीमूजीन का परिचालन करने वाला प्रत्येक चार्टर पार्टी वाहक इसकी बजाए अपनी विशेष पहचान लाइसेंस प्लेट संख्या का उल्लेख कर सकता है। प्रमाणपत्र या

परमिट संख्या

(क्रमशः श्रेणी "A"

दर्शनीय स्थल परमिट, चार्टर

होंगे जो उस प्राधिकार या उन

परिवहन सेवा प्रदान की जाएगी।

में उपसर्ग "TCP" और प्रत्यय "A", "B", "C", "S", "P", और/या "Z"

प्रमाणपत्र, श्रेणी "B" प्रमाणपत्र, श्रेणी "C" प्रमाणपत्र, राउंड-ट्रिप

पार्टी परमिट और विशिष्ट कैरियर परमिट) सम्मिलित

प्राधिकारों का निर्धारण करते हैं जिसके (जिनके) अंतर्गत

भाग 4 – वाहन

4.01-उपकरण विवरण ताजा होना चाहिए। प्रत्येक वाहक प्रत्येक प्रमाणपत्र और परमिट के अंतर्गत उपयोग किए जा रहे सभी वाहनों (स्वामित्व वाले या पट्टे वाले) की उपकरण सूची का आयोग के यहाँ फाइल में रखेगा। प्रत्येक वाहन के लिए सूचना में ये चीजें सम्मिलित होंगी - विनिर्माता, मॉडल का वर्ष, वाहन की पहचान संख्या, (V.I.N.) सीट क्षमता (चालक सहित), बॉडी के प्रकार या मॉडल के पदनाम का विवरण, क्या वाहन पट्टे पर है या स्व:स्वामित्व है, विकलांग व्यक्ति को सुलभता की स्थिति, और इसकी लाइसेंस प्लेट संख्या। उपकरण सूची में परिवर्धन या लोप उस तारीख से दस दिनों के भीतर दाखिल किए जाएंगे जब से वाहन को सेवा में लगाया जाता है या इससे हटाया जाता है।

4.02-परिचालन से पहले सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं। प्रत्येक प्रमाणपत्र या परमिट के अंतर्गत प्रचालित सभी वाहन केलीफोर्निया हाइवे पेट्रोल और केलीफोर्निया विनियम संहिता के खंड 13 की मोटर वाहक सुरक्षा धाराओं की अपेक्षाओं का पालन करेंगे। प्रत्येक वाहक को सभी वाहनों का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए और ऐसे निरीक्षणों के उचित प्रलेखन करना चाहिए।

4.03-वाहक का नाम और वाहन संख्या वाहन पर दर्शाई जानी है। कोई वाहन सेवा में तब तक परिचालित नहीं किया जाएगा जब तक वाहन की दोनों तरफ वाहक का नाम या व्यापारिक नाम पेन्ट किया हुआ न हो या दर्शाया हुआ न हो। प्रत्येक वाहक प्रत्येक वाहन को एक पहचान संख्या आबंटित करेगा। ऐसी संख्या प्रत्येक वाहन के पिछले भाग और बाहरी हिस्से की दोनों तरफ पेन्ट की जाएगी या स्थायी रूप से संलग्न की जाएगी। वाहक का नाम और वाहन संख्याएं पर्याप्त रूप से इतनी बड़ी होनी चाहिए और इनमें रंगों का ऐसा विरोधाभास होना चाहिए जिससे इन्हें दिन में रोशनी के समय 50 फीट की दूरी से पढ़ा जा सके। फिर भी, इस धारा के प्रावधान उन वाहनों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें वाहकों द्वारा 30 दिन से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से पट्टे पर दिया जाता है या ऐसे वाहनों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें चालक सहित 15 से कम व्यक्तियों को ढोने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

4.04-ICP नंबर वाहन पर दर्शाया जाना है। आयोग द्वारा वाहक के प्राधिकरण को आबंटित संख्या सारे चार्टर पार्टी वाहनों पर पूरे रूप में दिखाई जाएगी जिसमें उपसर्ग "ICP", प्राधिकार की संख्या और प्राधिकार उपसर्ग "A", "B", "C", "S" "P" और/या "Z" (जो क्रमशः "A" श्रेणी प्रमाणपत्र, "B" श्रेणी प्रमाणपत्र, "C" श्रेणी प्रमाणपत्र, राउंड ट्रिप दर्शनीय स्थल परमिट, चार्टर पार्टी परमिट और विशिष्ट कैरियर परमिट को दर्शाते हैं) सम्मिलित है। अक्षर और संख्या के चिह्न का आकार और इसकी स्थिति निम्नानुसार होगी:

आकार और आकृति और अवस्थिति इस प्रकार होगी जिससे यह दिन में रोशनी में 50 फीट की दूरी से आसानी से पढ़ा जा सके। चिह्नों को वाहन के दोनों तरफ प्रदर्शित किया जाएगा, सिवाए उन वाहनों के जो चालक सहित 15 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं ढोने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो अगले और पिछले बम्परों पर पहचान चिह्न प्रदर्शित करेंगे।

अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग (Interstate Commerce Commission - ICC) के अधिकारक्षेत्र के अधीन किसी वाहक द्वारा प्रदर्शित पहचान चिह्न उपर्युक्त अपेक्षाओं के बदले काम करेगा, बशर्ते ऐसा ICC परिचालन प्राधिकरण अंतरराज्यीय और विदेशी राजमार्ग वाहक का पंजीकरण अधिनियम (Interstate and Foreign Highway Carrier's Registration Act) (PU संहिता धारा 3901 के साथ लागू) के अनुरूप आयोग में पंजीकृत हो।

4.05-डीकेल (decals) दर्शाए जाने हैं। चालक सहित 8 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं ढोने के लिए डिज़ाइन किए गए वाहन आयोग द्वारा जारी डीकेल प्रदर्शित करेंगे। चालक सहित 9 से 15 व्यक्तियों की सीट क्षमता वाले वाहन आयोग द्वारा जारी डीकेल प्रदर्शित कर सकते हैं जो सुरक्षा और प्रवर्तन प्रभाग (Safety and Enforcement Division) के लाइसेंस सेक्शन को अनुसंधान पर जारी किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी किए गए डीकेल वाहन के पिछले बम्पर के निचले दाएं किनारे पर लगाए जाएंगे।

4.06-लीमूजीन के लिए विशेष पहचान लाइसेंस प्लेटें। चार्टर पार्टी वाहक द्वारा परिचालित लीमूजीन सार्वजनिक उपयोगिताएं संहिता धारा 5385.6 के अनुरूप मोटर वाहन विभाग द्वारा जारी विशेष पहचान लाइसेंस प्लेटों के सेट प्रदर्शित करेंगी। विशेष पहचान लाइसेंस प्लेटें भाग 4.05 की डीकेल अपेक्षाओं के बदले प्रदर्शित की जाएंगी। चार्टर-पार्टी वाहक का परमिट या प्रमाणपत्र के रद्द, निलंबित या निरस्त (revocation) होने पर वाहक विशेष पहचान लाइसेंस प्लेटें तुरन्त हटा लेगा और इन्हें आयोग को सौंप देगा। यह भाग 4 फरवरी, 1996 से लागू है।

4.07-पहचान चिह्नों को नुकसान। वाहक की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह वाहन पर पहचान नामों और संख्याओं को हुए किसी नुकसान को दुरुस्त करने या इन्हें बदलने के लिए तुरन्त कार्रवाई करे।

4.08-P.U.C. पहचान का अवैध प्रदर्शन। किसी परमिट या प्रमाणपत्र के रद्द या समाप्त होने के तुरन्त बाद सभी वाहनों से परमिट या प्रमाणपत्र के लिए TCP संख्या हटा ली जाएगी। अगर बाद में नया परिचालन प्राधिकरण प्रदान किया जाता है, तो उपर्युक्त पहचान प्रदान करना वाहक की ज़िम्मेदारी होगी।

- 4.09-परिचालन प्राधिकार का अनधिकृत उपयोग। कोई वाहक अपने परिचालन प्राधिकार, TCP संख्या (संख्याओं) या विशेष पहचान लाइसेंस प्लेट (प्लेटों) का अन्य लोगों द्वारा उपयोग किए जाने की जान-बूझकर अनुमति नहीं देगा।
- 4.10-वाहन की बिक्री या हस्तांतरण। वाहक की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह वाहन के बेचे जाने या हस्तांतरित किए जाने पर सभी प्रमाणपत्र या परमिट संख्याएं, पहचान चिह्न और सभी विशेष पहचान लाइसेंस प्लेटें हटा ले।

भाग 5 – चालक

- 5.01-चालकों के पास लाइसेंस होना चाहिए। चार्टर-पार्टी वाहन के प्रत्येक चालक के पास केलीफोर्निया वाहन संहिता के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुरूप लाइसेंस होना चाहिए और वह केलीफोर्निया विनियमन संहिता के खंड 13 की मोटर वाहक सुरक्षा धाराओं के चालक प्रावधानों का पालन करेगा।
- 5.02-चालक का रिकॉर्ड। प्रत्येक वाहक वाहन संहिता धारा 1808.1 में परिभाषित मोटर वाहन विभाग के “पुल नोटिस प्रोग्राम” में नामांकन करवाएगा। कोई चार्टर-पार्टी वाहन किसी ऐसे चालक द्वारा नहीं चलाया जाएगा जिसे वाहन संहिता धारा 12810.5 के अंतर्गत लापरवाह परिचालक माना जाता है।
- 5.03-चालक की स्थिति। किसी वाहन का प्रत्येक परिचालक परमिट/प्रमाणपत्र धारक होगा या परिचालन वाहक की पूर्ण निगरानी, निर्देश और नियन्त्रण में होगा और वह निम्नलिखित होगा:
- A. परमिट/प्रमाणपत्र धारक का कर्मचारी; या,
- B. उप-वाहक का कर्मचारी; या,
- C. कोई स्वतन्त्र स्वामी-चालक जिसके पास चार्टर पार्टी वाहक प्राधिकार है और जो उप-वाहक के रूप में परिचालन कर रहा है।
- 5.04-अल्कोहल युक्त पेय और नशीली दवाएं-चालक द्वारा उपयोग की मनाही है। सभी चालक संघीय विनियमन संहिता के खंड 49, भाग 392.4 और 392.5 के नियमों का पालन करेंगे। इस नियम में, अंश में, चालकों को ड्यूटी के दौरान किसी नशीली दवा या अल्कोहल वाले पेय का सेवन करने या इसके प्रभाव में होने की मनाही है और इसमें वाहकों को चालकों को ड्यूटी पर होने के दौरान किसी नशीली दवा या अल्कोहल वाले पेय का सेवन करने या इनके प्रभाव में होने की अनुमति देने की मनाही है।

भाग 6 – रिकॉर्ड और निरीक्षण

- 6.01-चार्टर-पार्टी रिकॉर्ड। प्रत्येक वाहक अपनी सेवाओं की सूचना व्यक्त करने वाले रिकॉर्ड रखेगा और इनका रखरखाव करेगा जिनमें धारा 3.01 में वर्णित वेबिल सम्मिलित हैं। प्रत्येक वाहक सभी पट्टा और उप-वाहक करारों की प्रतियां भी रखेगा और अनुरक्षण और सुरक्षा रिकॉर्ड (जिनमें धारा 4.01 और 4.02 में अपेक्षित रिकॉर्ड सम्मिलित हैं, पर ये इन तक

ही सीमित नहीं हैं), चालक रिकॉर्ड (जिनमें पर ये इन तक ही सीमित नहीं हैं), और में अपेक्षित रिकॉर्ड सम्मिलित हैं, पर ये इन रिकॉर्ड कम से कम तीन वर्ष की

धारा 5.02 में अपेक्षित रिकॉर्ड सम्मिलित हैं, उपभोक्ता शिकायत रिकॉर्ड (जिनमें धारा 7.01 तक ही सीमित नहीं हैं) रखेगा। ऐसे अवधि के लिए रखे जाएंगे।

6.02-निरीक्षण। इस आयोग के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के पास हमेशा खातों, बहियों, कागजातों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए किसी वाहन या सुविधा केन्द्र में प्रवेश करने या यह पता लगाने का अधिकार होगा और अनुमति होगी कि क्या इन नियमों का पालन और अनुपालन किया जा रहा है। किसी वाहन का स्वामी, परिचालक, या चालक आयोग के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को ऐसा निरीक्षण करने के लिए सभी उपयुक्त अवसर और सुविधाएं प्रदान करेगा।

भाग 7 – शिकायतें

7.01-वाहक को शिकायतों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक वाहक अपने द्वारा प्रदान की गई या व्यवस्था की गई परिवहन सेवा से संबंधित किसी लिखित शिकायत के 15 दिनों के भीतर उत्तर देगा। वाहक 15 दिनों के भीतर शिकायतों के संबंध में आयोग के कर्मचारियों की पूछताछ का उत्तर देगा और मांगे गए पत्राचार और रिकॉर्डों की प्रतियां प्रदान करेगा।

भाग 8 – छूट

8.01-लिखित अनुरोध द्वारा। अगर किसी विशेष मामले में, इन नियमों और विनियमों में से किसी से छूट मांगी जाती है, तो ऐसी छूट के लिए आयोग को लिखित अनुरोध किया जा सकता है। ऐसे अनुरोध के साथ छूट के औचित्य के लिए मौजूद शर्तों का पूरा विवरण और भरोसा किए गए कारणों का पूरा विवरण भेजा जाएगा। ज्ञात हो कि इस प्रकार प्रदान की गई कोई छूट अनुरोध द्वारा कवर होने वाले विशेष मामले तक सीमित होगी।

भाग 9 – युवा कैम्पों द्वारा परिवहन

9.01-गैर-लाभ युवा कैम्पों द्वारा परिवहन। गैर मुनाफा संगठनों द्वारा किए गए ऐसे परिवहन, जो युवा शिविरों के परिचालन के लिए आनुषांगिक हैं, सार्वजनिक उपयोगिता (PU) संहिता खंड 5353 (f) में प्रदत्त छूट के अंतर्गत यात्री चार्टर-पार्टी वाहक अधिनियम, सार्वजनिक उपयोगिता (PU) संहिता खंड 5351, और निम्नलिखित के अधीन नहीं है।

9.02-लाभ वाले युवा कैम्पों द्वारा परिवहन। मुनाफा आधारित संगठनों द्वारा किए गए ऐसे परिवहन, जो युवा शिविरों के परिचालन के लिए आनुषांगिक हैं, यात्री चार्टर-पार्टी वाहक अधिनियम, सार्वजनिक सेवा संहिता खंड 5351, और निम्नलिखित के अधीन है।

भाग 10 – नियन्त्रित पदार्थ और अल्कोहल परीक्षण प्रमाणन कार्यक्रम

10.01-किसे पालन अवश्य करना चाहिए। चालक सहित 15 या इससे कम व्यक्तियों की सीट क्षमता वाला वाहन चलाने वाले किसी चालक को काम पर रखने का इरादा रखने वाले सभी चार्टर-पार्टी वाहक आवेदकों (नए और नवीकरण) को इस सामान्य आदेश की अपेक्षा के अनुसार उन चालकों के लिए अनिवार्य नियन्त्रित पदार्थ और अल्कोहल परीक्षण प्रमाणीकरण कार्यक्रम की अवश्य व्यवस्था करनी चाहिए बशर्ते ऐसे सभी चालक पहले से संघीय परीक्षण विनियमन के दायरे में न आते हों। चालक सहित 16 या इससे अधिक व्यक्तियों की सीट क्षमता वाला वाहन चलाने वाले किसी चालक को काम पर रखने वाले चार्टर-पार्टी वाहकों को उन चालकों के लिए नियन्त्रित पदार्थ और अल्कोहल परीक्षण से संबंधित संघीय विनियमनों का पालन अवश्य करना चाहिए।

10.02-नियन्त्रित पदार्थ और अल्कोहल परीक्षण कार्यक्रम की अनिवार्यता। ऐसा प्रत्येक आवेदक जिसके लिए इस सामान्य आदेश का पालन करना आवश्यक है, संघीय विनियमन संहिता (CFR) के खंड 49 के भाग 40 और 382 की अपेक्षा के अनुरूप, सिवाए उनको जिन्हें यहां संशोधित किया गया है, परीक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करेगा।

इस आयोग के कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिए चालक सहित 15 या इससे कम व्यक्तियों की सीट क्षमता वाले वाहनों को वाणिज्यिक वाहन माना जाएगा। इससे, उदाहरण के लिए, इसका निर्धारण प्रभावित होता है कि इस आयोग के कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए "सुरक्षा संवेदनशील कार्य" कौन-से हैं।

अल्कोहल के लिए नेगेटिव परीक्षण 0.02 प्रतिशत से कम की सांस अल्कोहल सान्द्रता प्रदर्शित करेगा और चालकों को परीक्षण के समय और स्थल पर केलीफोर्निया के चालक का वैध लाइसेंस अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए।

ऐसे प्रत्येक आवेदक को नौकरी से पहले का परीक्षण (भाग 382.301), दुर्घटना से बाद का परीक्षण (भाग 382.003), यादृच्छिक परीक्षण (भाग 382.305), उचित शक की वजह से परीक्षण (भाग 382.307), फॉलोअफ परीक्षण (भाग 382.311), और ड्यूटी पर वापसी का परीक्षण (भाग 382.309) अवश्य करना चाहिए, सिवाए इसके कि अल्कोहल के लिए नौकरी से पहले के परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे प्रत्येक आवेदक को ऐसी शैक्षिक सामग्रियाँ (भाग 382.601) अवश्य प्रदान करनी चाहिए जिनमें CFR के खंड 49 के भाग 382 की अपेक्षाओं और इस सामान्य आदेश के साथ-साथ परीक्षण अपेक्षाओं को पूरा करने के संबंध में नियोजक की नीतियों और क्रियाविधियों का विवरण दिया गया हो।

ऐसे आवेदकों को कर्मचारियों को (भाग 382.605) अल्कोहल के दुरुपयोग और नियन्त्रित पदार्थों के उपयोग से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके पास उपलब्ध संसाधनों के बारे में अवश्य सूचित करना चाहिए।

ऐसे आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुपरवाइजर यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करें कि क्या कोई ऐसा उपयुक्त शक मौजूद है जिससे चालक के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक हो जाए (भाग 382.603)।

ऐसे आवेदकों को परीक्षण किए जा रहे कर्मचारियों की पहचान करने और विशिष्ट प्रकार के परीक्षणों का अनुरोध करने के लिए एक अभिरक्षा (custody) और नियन्त्रण फॉर्म का उपयोग अवश्य करना चाहिए जो "संघीय नशीली दवा परीक्षण अभिरक्षा और नियन्त्रण फॉर्म" और "DOT साँस अल्कोहल परीक्षण फॉर्म" के काफी समान, पर भिन्न होता है।

10.03-नियुक्ति पूर्व परीक्षण के लिए अपेक्षाएं। किसी चालक के लिए पिछले नेगेटिव परिणाम किसी बाद के रोजगार के लिए रोजगार से पहले की परीक्षण अपेक्षाओं, या नियतकालिक परीक्षण के सिवाए कार्यक्रम के अंतर्गत किन्हीं परीक्षण अपेक्षाओं को पूरा करने वालों के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। (कोई नेगेटिव परीक्षण परिणाम उस स्थिति में नियतकालिक परीक्षण के लिए किसी अपेक्षा को पूरा करने वाले के रूप में एक वर्ष के लिए स्वीकार किए जाएंगे, अगर किसी नेगेटिव परिणाम के बाद चालक का परीक्षण परिणाम पोजिटिव नहीं आया है।)

10.04-परीक्षण लागतें। आवेदक परीक्षण परिणाम के पालन के लिए जिम्मेदार होंगे और परीक्षण कार्यक्रम की सारी लागतों का भुगतान करेंगे, सिवाए इस बात के कि नियोक्ता (employer) परीक्षण में पोजिटिव पाए जाने वाले कर्मचारियों से पुनर्वास (rehabilitation) की लागतों का भुगतान करने और ड्यूटी पर लौटने और फॉलो-अप परीक्षण की अपेक्षा कर सकता है।

10.05-परीक्षणों की गोपनीयता। सभी परीक्षण परिणाम गोपनीय होते हैं और कानून द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित के सिवाए, चालक की सहमति के बिना इन्हें जारी नहीं किया जा सकता। 49 CFR भाग 40.35, 40.81, 382.405 और 382.413 में कर्मचारी परीक्षण रिकॉर्डों के प्रकट किए जाने और इनकी गोपनीयता से संबंधित नियम दिए गए हैं। आयोग के परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक परीक्षणों के परिणाम वैसी ही परिस्थितियों के अंतर्गत जारी किए जा सकते हैं जिनका वर्णन 49 CFR भाग 40 और 382 में किया गया है। आयोग प्रयोगशालाओं से यह अनुरोध कर सकता है कि वे अनुरोध किए जाने पर उसे परीक्षण के परिणाम उपलब्ध कराएं। नियन्त्रित पदार्थों के गैर-कानूनी स्वामित्व, बिक्री या वितरण से संबंधित किसी आपराधिक मुकदमे में किसी पोजिटिव परीक्षण से सबूत की अनुमति नहीं होगी।

10.06-चालक-आवेदक परीक्षण परिणाम आयोग को सूचित किए जाने हैं। जो आवेदक चालक भी हैं, उनके परीक्षण परिणाम आयोग को 49 CFR भाग 382.407 की अपेक्षाओं के अनुसार सीधे सूचित किए जाने चाहिए। इसलिए, नए परिचालन प्राधिकार के लिए आवेदन करने वाले चालक-आवेदक को अपने रोजगार से पहले के नियन्त्रित पदार्थ के परीक्षण परिणामों की प्रति अपना मुआयना करने वाले चिकित्सा समीक्षा अधिकारी या जिस परिसंघ में चालक-आवेदक नामांकित है, उसके प्रशासक के माध्यम से आयोग को सीधे भिजवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। परिचालन प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करने वाले चालक-आवेदक को अपने सबसे हालिया नियन्त्रित पदार्थ और अल्कोहल परीक्षण परिणामों की प्रति मुआयना करने वाले चिकित्सा समीक्षा अधिकारी या जिस परिसंघ में चालक-आवेदक नामांकित है, उसके प्रशासक के माध्यम से आयोग को सीधे भिजवाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

सान फ्रांसिस्को, केलीफोर्निया में अनुमोदित और 21 जून, 2007 की तारीख डाली गई।

सार्वजनिक उपयोगिताएं आयोग
(PUBLIC UTILITIES COMMISSION)
केलीफोर्निया राज्य
(STATE OF CALIFORNIA)

पॉल क्लेनन द्वारा
कार्यकारी निदेशक
(Executive Director)